

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>केसाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 220 / 2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>18.12.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी केसाराम पुत्र संग्रामराम जाति विशनोई निवासी बुद्धनगर, पोस्ट जालेली नायला, तहसील व जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.10.2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम दर्ईकड़ा के नामान्तरकरण संख्या 681 व 223 जो जिला कलक्टर जोधपुर के राजस्व अपील संख्या 4/2009 व 5/2009 के निर्णय दिनांक 14.03.2011 के बाद जावक रजिस्टर के क्रमांक 1511 दिनांक 19.05.11 आपके कार्यालय में भेज दिया गया है, जिसकी नकल दिलाई जाने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

